न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्या:–06/2005 (225 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या – 2005/00012

उनवान

1. दलवीर पुत्र हीरालाल (मृतक)
   1/1. लाडो पत्नी स्व0 दलवीर
2. छीतर पुत्र हीरालाल

} जाति दर्जी नि0 वैर तह0 वैर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. नैमी } पुत्र रामदयाल नवीरा
2. शिवराम } कन्हैया
3. श्रीमती कैलाशी पत्नी रामदयाल

} जाति जाट नि0 वैर तह0 वैर जिला भरतपुर।

4. बृजलाल पुत्र हुक्म (मृतक)
   4/1. विशन पुत्र बृजलाल (मृतक)
   4/1/1. उगन्ती पत्नी स्व0 विशन
   4/1/2. नरेन्द्र पुत्र स्व0 विशन
   4/1/3. बबीता } पुत्री स्व0 विशन
   4/1/4. कम्मो }
   4/1/5. कल्लो }
   4/2. दुल्ला पुत्री बृजलाल

} जाति गुर्जर नि0 कस्बा वैर तह0 वैर जिला भरतपुर।

4/3. द्रोपदी पत्नी लज्जा पुत्री बृजलाल जाति गूजर निवासी सीता तहसील वैर जिला भरतपुर।

5. खटकला } पुत्र हुक्म जाति गूर्जर नि0 वैर तहसील वैर जिला भरतपुर।
6. मुंशी }

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर दिनांक 23.10.2004 उनवानी प्र0स0 200/04 शीर्षक नैमी बनाम दलवीर एवं प्र0स0 226/04 शीर्षक दलवीर बनाम छीतर।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

1

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

निर्णय दिनांक :- 05.04.2022

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर के आदेश दिनांक 23.10.2004 के विरुद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रैस्पो0 एवं अप्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा पूर्व वाद के साथ एक दूसरे के विरुद्ध दो प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 886 व 886 वाके ग्राम लाजरा पट्टी तहसील वैर में स्थित है। जिसपर वादी सायलान 01 लगायत 03 खसरा नम्बर 886 में बहिस्सा बराबर शेष वादीगण सायलान 4 लगायत 6 खसरा नम्बर 887 पर बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार की हैसियत से काबिज काश्त चले आ रहे हैं। आराजी खसरा नम्बर 886 पर कन्हैया वल्द परसादी खसरा नम्बर 887 पर हुक्म वल्द रामचन्द्र गूजर संवत 2008 से पट्टेदार की हैसियत से काबिज हैं। उन्ही के जीवनकाल से वादीगण सायलान उक्त आराजी पर खातेदार काश्तकार की हैसीयत से काबिज चले आ रहे हैं। अतः वादीगण सायलान विवादित आराजी पर 12 साल से अधिक समय से काबिज रहकर काश्त करते आ रहे हैं। इस प्रकार एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। गैर सायलान का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है एवं ना ही उनका कोई संबंध सारोकार ही है। परन्तु गैर सायलान, सायलान के कब्जे काश्त में रूकावट पैदा करते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, वाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से स्वीकार करते हुये, उभयपक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पावन्द कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बार-बार आवाज दिलवाये जाने के बावजूद भी ना तो रैस्पो0 एवं ना ही उनके अधिवक्तागण उपस्थित आये। अतः बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिए कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है, जो काबिल निरस्तनीय है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 886 व 887 वाके ग्राम लाजरा पट्टी तहसील वैर के अपीलाण्ट खातेदार काश्तकार काबिज हैं। रैस्पो0 का उक्त आराजी के किसी भाग से कोई संबंध सारोकार नहीं है। अपीलाण्ट ने विवादित आराजी की कीमत जमा कराई है और उनके हक में सनद जारी होकर राजस्व अभिलेख में गैर खातेदार की प्रविष्टियॉ भी की जा चुकी हैं। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने रैस्पो0 के विरूद्ध पूर्ण पावन्दी का आदेश जारी नहीं किया। इसके अलावा उनका यह भी कथन है कि यथास्थिति बनाये रखने का आदेश एक वेग आदेश की परिभाषा में आता है। अधीनस्थ न्यायालय को निषेधाज्ञा व्यादेश जारी करना चाहिये था। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

स्थिर रहने लायक नहीं है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर ताफैसला वाद रैस्पो0 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा व्यादेश जारी किया जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। विवादित आराजी खसरा नम्बर 886, 887 पर जमाबन्दी संवत 2057–60 के खाता संख्या 83 पर अपीलाण्ट दलवीर व छीतर पिसरान हीरा वहिस्सा बराबर कौम दर्जी गैर खातेदार दर्ज हैं। नामान्तकरण संख्या 229 दिनांक 03.07.2004 से दलवीर, छीतर पिसरान हीरा के बजाय खसरा नम्बर 886 पर रैस्पो0 नेमी पुत्र रामदयाल नवीरा, कन्हैया, शिवचरण पिसरान रामदयाल नवीरा, कन्हैया नाबालिग सरंक्षिका मॉ खुद कैलाशी पत्नि स्व0 रामदयाल जाति जाट के गैर खातेदारी व खसरा नम्बर 887 पर बृजलाल खटकल मुन्शी पुत्र हुक्म जाति गूजर के गैर खातेदारी इन्द्राज हुये हैं। प्रकरण में अपीलाण्ट दलवीर व छीतर विवादित आराजी की राशि जमा कराकर स्वयं को विवादित आराजी पर गैर खातेदार दर्ज होना कथन करते हैं। प्रकरण पूर्व में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा तहसीलदार वैर को रिमान्ड किया है। जिस पर तहसीलदार वैर ने दिनांक 25.06.2004 को रैस्पो0 नेमी वगै0 के पक्ष में निर्णय दिया। तहसीलदार वैर के उक्त निर्णय की अपील जिला कलक्टर भरतपुर में हुयी। जिसमें विवादित आराजी के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किये गये। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त सभी तथ्यों पर विचार किया जाकर एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की विस्तार से विवेचना की जाकर, अपीलाधीन आदेश से उभयपक्ष को पावन्द किया है। चूंकि विवादित आराजी बावत् स्वत्व का निर्धारण विस्तृत साक्ष्य विवेचना उपरान्त मूल वाद में तय होगा। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी की सुरक्षा हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को पावन्द किये जाने के आदेश को हम किसी प्रकार विधि की मंशा के विपरीत नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर के निर्णय दिनांक 23.10.2004 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा वाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 05.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05-04-2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर